बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न	
श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दि0–22.02.13 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–3 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत पतरघट अंचल स्थित मध्य विद्यालय, पहाड़पुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत योजना की राशि में अनियमितता बरती गयी है जिसकी शिकायत उसी ग्राम के श्री शेखर प्रसाद यादव सहित 6 आवेदकों ने नवम्बर 2012 में मुख्यमंत्री, बिहार, आयुक्त, कोशी प्रमंडल तथा जिला पदाधिकारी, सहरसा से की है,	सहरसा जिला अंतर्गत पतरघट अंचल स्थित म0वि0 पहाड़पुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत योजना की राशि में अनियमितता से संबंधित श्री शेखर प्रसाद यादव एवं अन्य 6 व्यक्तियों का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ।
(2) क्या यह बात सही है कि आवेदकों के आवेदन पत्र के क्रमांक 1,2 एवं 3 की तीनों छात्रा 8 वर्ष की हैं और तीनों के माता–पिता एक ही हैं जो साबित करता है कि राहत का वितरण फर्जी तरीके से किया गया है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि शेखर प्र0 यादव सहित 6 आवेदको द्वारा समर्पित किये गए आवेदन में कई आरोप हैं । आरोप 1 के क्रमांक 1,2,3 के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा भुगतान से संबंधित अभिश्रव एवं नामांकन पंजी से जॉच कराई गई। क्रमांक –1,2 एवं 3 की छात्राओं की उम्र एवं उनके माता–पिता के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है – (क) सुशीला कुमारी, पिता–कैलाश मेहता, माता–मीना देवी, जन्म तिथि 07.09.96 वर्ग 08, भुगतान की गई राशि 800रू0 (ख) सरीता कुमारी, पिता–कैलाश मेहता, माता–मीना देवी, जन्म तिथि –10.08.96 वर्ग 08, भुगतान की गई राशि 800 रू0 (ग)सकल कुमारी, पिता–कैलाश मेहता, माता–मीना देवी, जन्म तिथि–21.07.96 वर्ग–08, भुगतान की गई राशि 800 रू0 शेष आरोपों की विस्तृत जॉच कराने का आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, पतरघट को दिया गया है ।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार ने अब तक उस घोटाले की जॉचोपरांत दोषी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की है, यदि नही तो क्यों ?	जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनियमितता के उत्तरदायी दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

क्र0पृ030

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0ता0प्र0–3/2013/....967...../आ0प्र, पटना–15, दि0– 7/3/13 ,

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक –6635 दि0–13.02.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

967/आ0प्र0 7/3/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

6.3.13
सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\vidhan parisad qu as20-2-13.docx